हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

GOOD SAMARITAN
(नेक व्यक्ति)

समाज का जो भी व्यक्ति सद्भावनापूर्वक (in Good Faith) स्वेच्छा से और किसी इनाम या मुआवजे की आशा किए बगैर दुर्घटना स्थल पर किसी पीड़ित व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा सहायता (Emergency Aid) या गैर चिकित्सीय देखरेख / सहायता उपलब्ध करवाता है या ऐसे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल तक पहुँचाता है, नेक व्यक्ति (Good Samaritan) कहलाता है।

नेक व्यक्ति के अधिकार

‘‘आपका नेक प्रयास - मानव जीवन की आस’’

- ➔ सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तड़पते हुए देखने की बजाए आप उसे अस्पताल पहुँचाकर अपने मानवीय कर्त्तव्यों का पालन बेझिझक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस या अस्पताल प्रशासन द्वारा आगे की किसी भी आवश्यक कार्यवाही या रूकने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- ➔ सहायता प्रदान करने वाले का नाम, परिचय, पता या किसी भी प्रकार का अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा बताने के लिए उसे पुलिस/अस्पताल प्रशासन मजबूर नहीं करेगा।
- ➔ यदि कोई अपनी मर्जी से अपना नाम व व्यक्तिगत विवरण पुलिस को बताता है तो पुलिस उसे गवाह (EYE-WITNESS) बनने के लिए मजबूर नहीं करेगी।

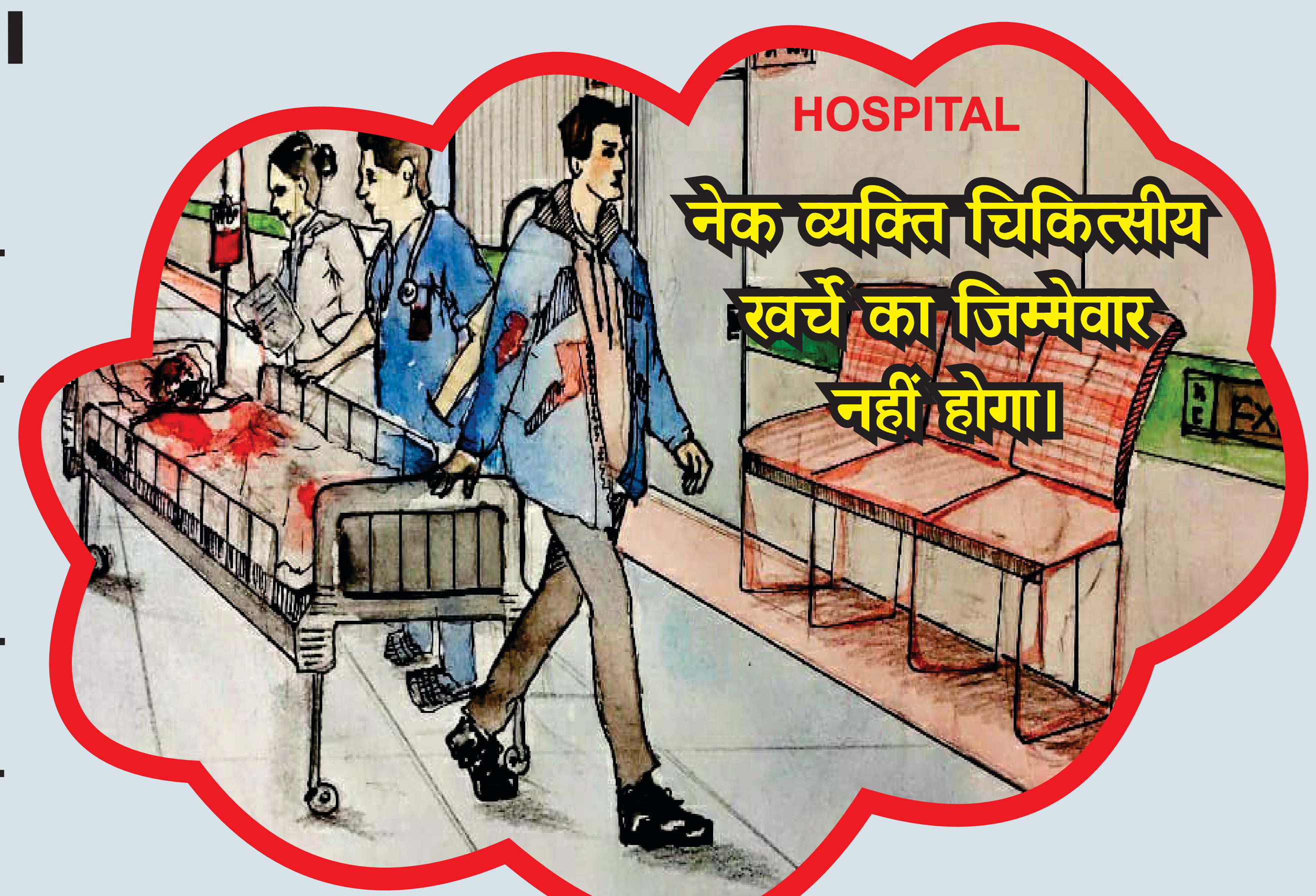

‘‘मदद का हाथ बढ़ायें - दुर्घटना में घायल की जान बचायें’’

- ➔ नेक व्यक्ति यदि चाहे तो, स्वेच्छा से अपनी गवाही दे सकता है।
- ➔ नेक व्यक्ति द्वारा घायल को तुरंत अस्पताल पहुँचाने की एवज़ में सरकार द्वारा पुरस्कार राशि के रूप में ₹5,000 प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

विस्तृत जानकारी लेने हेतु लॉग इन करें https://roadsafety.hp.gov.in या दिए गए QR Code को scan करें।

आओ – नेक व्यक्ति का दायित्व निभाएँ – अमूल्य जीवन बचाएँ!!